न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–95/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/95

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भीखाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रंगाला तहसील बागोडा जिला जालोर।		01 गणेशाराम पुत्र खंगाराराम जी 02 भगाराम पुत्र खंगाराराम जी 03 मेहराराम पुत्र खंगाराराम जी 04 श्रीमती गवरी पत्नि खंगाराराम जी जातियान जाट निवासीगण रंगाला तहसील बागोडा जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2018 अनवान भीखाराम बनाम गणेशाराम वगैरा में निर्णय दिनांक 12/2/2019 एवं आदेश दिनांक 25.07.2018

उपस्थिति :–
1. श्री राजेन्द्रसिह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री शरीफ काजी श्री सदाम काजी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/9/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 33/2018 में निर्णय दिनांक 12.02.2019 एवं आदेश दिनांक 25.07.2018 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका व अभिलेख के विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज है।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

तहसीलदार वागोडा द्वारा दिनांक 25.07.2018 को जो आदेश पारित किया गया है वो इस प्रकार है –

"माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील संख्या अपील/डिकी/टीए/189/2014 दिनांक 26.07. 2016 की पालना में श्रीमानू सहायक कलेक्टर वागोडा के प्र.सं 38/2011 के निर्णय दिनांक 04.07.2011 व संशोधित निर्णय दिनांक 14.07.2011 को निरस्त करने से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी वागोडा के पत्रांक 113 दिनांक 19.6.2018 की पालना में नामान्तरकरण अपास्त किया जाता है।"

तहसीलदार वागोडा उक्त आदेश दिनांक 16.06. 2018 की पालना मे खोलना वताया है। जवकि उपखण्ड अधिकारी वागोडा द्वारा अपने आदेश कमांक 113 दिनांक 16.06.2018 म्यूटेशन संख्या 42 को अपास्त करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। फिर भी मनमाने तरीके से तहसीलदार द्वारा म्यूटेशन संख्या 42 को अपास्त कर म्यूटेशन संख्या 44 को स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है।

उपखण्ड अधिकारी वागोडा द्वारा अपने आदेश कमांक 113 दिनांक 19.6.2018 में सिर्फ इतना ही कहा था कि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.07.2016 की पालना करे। माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 26.07. 2016 का ओपरेटिव पोरर्शन इस प्रकार है–

"फलस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प जालौर का निर्णय व डिकी दिनांक 04. 07.2011 एंव संशाधन निर्णय दिनांक 14.07.2011 निरस्त किये जाते है। तथा प्रकरण अपीलान्टस प्रतिवादीगण को साक्ष्य एंव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतू सहायक कलक्टर वागौडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।"

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय मे ऐसा कोई आदेश या निर्देश नहीं दिया गया है जिसमे राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज को बदला जावे या म्यूटेशन संख्या 42 को अपास्त किया जावे। जब राजस्व मण्डल के निर्णय मे स्पेसिफिक रूप से कोई आदेश या निर्देश रेकार्ड मे फेरबदल करने का नहीं हो तव तहसीलदार को अपनी मन मर्जी से निर्वचन करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से वाहर जाकर तहसीलदार बागोडा द्वारा दिनांक 25.07.2018 को म्यूटेशन संख्या 42 को अपास्त कर म्यूटेशन संख्या 44 को स्वीकार कर भारी कानूनी व वाकियाती भूल की है।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वागोडा के प्रकरण संख्या 38/2011 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 04.07.2011 की पालना में म्यूटेशन संख्या 42 खोला गया था। उक्त निर्णय व डिकी को राजस्व मण्डल द्वारा अपास्त कर देने की स्थिति मे रेस्पोडेन्ट के पास उसी प्रथम न्यायालय जिसने निर्णय व डिकी पारित किया गया था के न्यायालय मे राजस्व रेकार्ड की पूर्वी स्थिति को वहाल करने हेतू प्रार्थनापत्र पेश करने का विकल्प मौजूद

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

था। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई रेस्टीट्यूशन प्रार्थनापत्र सहायक कलेक्टर बागोडा के न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। इस सम्बन मे विधि की स्थिति स्पष्ट है कि जब रेस्टीटयूशन का प्रार्थनापत्र पेश करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रावधान मौजूद हो तब तक दूसरे किसी विधि के अन्तर्गत कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रत्यारथापन का आवेदन स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। मात्र इसी आधार पर तहसीलदार बागोडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07. 2018 निरस्त किये जाने योग्य है व म्यूटेशन संख्या 44 बहाल किये जाने योग्य है। तथा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2019 भी इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर बागोडा के निर्णय व डिकी दिनांक 04.07.2011 की पालना में कुल तीन म्यूटेशन संख्या 327, 328, व म्यूटेशन संख्या 42 स्वीकार किये गये थे। परन्तु दुर्भावनापूर्वक तहसीलदार द्वारा मात्र म्यूटेशन संख्या 42 को अपास्त कर म्यूटेशन संख्या 44 को स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है जबकि विधि अनुसार म्यूटेशन संख्या 42 अपास्त किया ही नहीं जा सकता था तथा न ही म्यूटेशन संख्या 44 खोला जा सकता था।

विधि की स्थिति स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड को परिवर्तन करने हेतू जब तक किसी न्यायालय का स्पेसिफिक आदेश नहीं हो तब तक अधिनस्थ अधिकारी मन मर्जी से उक्त निर्णय का इन्टरपटेशन नहीं कर सकते। लेकिन उक्त न्याय की उपधारणा को नजर अन्दाज करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 व कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02. 2019 निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदार बागोडा द्वारा अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का मौका दिये एकतरफा रेस्पोडेन्ट को सुन कर अपीलार्थी के पक्ष में खोले गये म्यूटेशन को अपास्त कर व अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटा कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का हनन किया है। इसलिए भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल ने प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतू सहायक कलेक्टर बागोडा को रिमाण्ड किया था। ऐसी स्थिति में यह स्वीकृत स्थिति है कि उक्त प्रकरण न्यायालय में सुनवाई हेतू लम्बित था। ऐसी स्थिति मे उक्त लम्वित प्रकरण के अधिन विवादित भूमि के सम्बन्ध मे राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज मे विधि अनुसार बिना किसी स्पेफिफिक आदेश के परिवर्तन नही किया जा सकता। लेकिन फिर भी उक्त तथ्यो की जानकारी होने के बाबजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरवाई जावे व जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपील संख्या 33/2018 भीखाराम बनाम गणेशाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2019 को अपास्त फरमाया जावे। एवं तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2018 को भी निरस्त फरमाते हुए म्यूटेशन संख्या 42 को वहाल फरमावे व म्यूटेशन संख्या 44 को अपास्त फरमाया जावे।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया है अर्थात माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार उपखंड अधिकारी बागोडा के निर्णय की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया था वह निर्णय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त दिया है व प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड किया है अतः उस निर्णय को जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने निरस्त कर दिया है अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 42 सहायक कलेक्टर न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2011 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 14. 07.2011 की अनुपालना में दर्ज किया गया था। बाद में माननीय राजस्व मण्डल ने द्वितीय अपील निर्णय दिनांक 26.07.2016 द्वारा सहायक कलेक्टर के निर्णयो तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निर्णय दिया। तदानुसार चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के जिस निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया था वह निर्णय ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपास्त कर दिया गया है। अतः राजस्व रिकोर्ड में पूर्व स्थिति बहाल किये जाने हेतु नामातरकरण 42 पर ना.करण संख्या 44 अंकित कर दिनांक 25.07.18 को पारित आदेश में कोई विधिक गलती त्रुटि प्रतीत नही होती। यह कार्यवाही धारा 144 सिविल प्रकिया संहित के प्रावधान से भी समर्थित है। सहायक कलक्टर न्यायालय में प्रतिप्रेषित प्रकरण लम्बित होने पर भी राजस्व रेकर्ड की अपास्त निर्णय के पूर्व की स्थिति बहाल करने पर कोई रोक या स्थगन नही है एवं वहां प्रार्थी को अपना पक्ष मूलवाद के विचारण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में रखने का समुचित अवसर प्राप्त होगा। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 33/2018 दिनांक 12.2.2019 बअनवान भीखाराम बनाम गणेशाराम वगैरा के निर्णय को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)